मापी आवेदन करने की प्रक्रिया

1. https://emapi.bihar.gov.in/ खोलें।
2. अगर आप नए user हैं तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, existing user अपना मोबाइल न0 पर OTP प्राप्त कर लॉगिन कर सकते है।
3. Login के उपरांत Apply for Mapi पर क्लिक करें।
4. मापी के आवेदन हेतु सर्वप्रथम आप अपने जमीन/ जमाबंदी से संबन्धित दस्तावेज़ की पीडीएफ़ कॉपी बनाएँ, साथ ही लॉगिन के अंदर उपलब्ध "मापी हेतु शपथ-पत्र को भर कर" उसका भी PDF तैयार कर लें।
5. अब जिला, अंचल select कर proceed बटन पर क्लिक करें।
6. उसके बाद आप हल्का, मौज़ा, वर्तमान वॉल्यूम न0, पृष्ठ संख्या भरें तथा "Get Register II Details" बटन पर क्लिक करें।
7. अब आपको अपनी जमाबंदी का व्योरा दिखाई देगा, तथा मापी हेतु खाता, खेसरा तथा रकबा भरने का ऑप्शन मिलेगा। आप उस जमाबंदी का एक से अधिक प्लॉट को ADD बटन पर क्लिक कर add कर सकते है।
8. खेसरा ADD करने के बाद Proceed बटन पर क्लिक करें।
9. अब आपको स्क्रीन पर आवेदक का विवरण पूछेगा। आवेदक अपना विवरण दर्ज करने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें।
10. अब आपको मापी हेतु आवेदित खेसरा के चौहद्दीदार का विवरण (नाम,पता,मोबाइल,ईमेल) भरने का ऑप्शन मिलेगा, सभी खेसरा के चौहद्दीदार का विवरण भरने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें।
11. अब आपको मापी से संबन्धित सूचना किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते है तो संबन्धित व्यक्ति का विवरण (नाम,पता,मोबाइल,ईमेल) भरने का ऑप्शन मिलेगा, सभी संबन्धित व्यक्ति का विवरण भरने के बाद Save & Next बटन पर क्लिक करें।
12. अब आपको मापी से संबन्धित कुछ declaration/questionnaire मिलेंगे जिसे भरने के पश्चात आप Save & Next बटन पर क्लिक करें।
13. अंत में आपको साक्ष्य यथा जमाबंदी, रशीद, कोर्ट आदेश शपथ-पत्र इत्यादि को अपलोड करना है, तथा final declaration स्वीकार करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा तथा आपको एक मापी आवेदन का नंबर प्राप्त होगा।
14. Application Status मेनू के अंतर्गत आपको मापी हेतु स्वीकृत आवेदन का मापी फीस जमा करने तथा मापी हेतु तिथि चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।